महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या 19/2024 / 1247 /छिहत्तर-1-2024-1592446

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 मई, 2024

विषय:- प्रदेश में लू प्रकोप के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि प्रदेश में भीषण गर्मी/लू का प्रकोप चल रहा है। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 10/2024/878/ छिहत्तर-1-2024-6 सम/2017, दिनाक 16 मार्च 2024 पूर्व में निर्गत किया गया है। उक्त के क्रम में प्रदेश में भीषण गर्मी/ लू-प्रकोप से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को निरन्तर एवं निर्वाध रूप से शुद्ध पेयजलापूर्ति प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नाकिंत कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने का कष्ट करें-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त जनपदों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।

(2) समस्त जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे एलर्ट पर रखा जाय, ताकि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु सक्रिय रूप कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(3) जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित / क्रियाशील समस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दशा में नियमित एवं निर्वाध रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति अवश्य सुनिश्चित करायी जाए।

(4) यह भी देख लिया जाय कि जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता नदी अथवा उस पर बने बांध पर आधारित हो, वहां पर नदी अथवा बांध में पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता की व्यवस्था संबन्धितों से समन्वय स्थापित कर जल स्तर को बनाये रखा जाय, ताकि निर्वाध जलापूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

(5) जिन जनपदों / क्षेत्रों में भू-जल स्रोत कम होते पाये जाये वहां आकस्मिक परिस्थिति में सुरक्षित पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, आवश्यकता का आकलन करते हुए, टैंकर के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये तथा सभी सार्वजनिक एवं सरकारी परिसरों यथा-तहसील, थाना, अस्पताल, आगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि में घड़े/प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य समुचित व्यवस्था करा कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(6) सामुदायिक शौचालयों में भी पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।

(7) लू के प्रकोप से बचने के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के उपयोग को समझाने तथा प्रबन्धित करने के लिए इनफारमेशन, एज्यूकेशन एवं कम्यूनिकेशन (आई.ई.सी.) के माध्यम से जागरूकता पैदा कर क्षमता निर्माण की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by अनुराग श्रीवास्तव
Date: 03-05-2024 15:39:23
Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या 19/2024/1247 (1)/छिहत्तर-1-2024, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

(5) निदेशक, जल जीवन मिशन-1, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, चौथा तल. अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली को उनके पत्र सं० W-11011/49/2021-Water-DDWS दिनांक 23.04.2024 के क्रम में।

(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

(7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिला विकास अधिकारी (द्वारा जिलाधिकारी)।

(9) मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण), लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में उक्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम 03/05/2024

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।